2024/112

प्रकरण संख्या 15/2024 निर्भयालाल व अन्य बनाम केसा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 22 के संयुक्त स्वामित्व की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 के परिशिष्ट ''ए'' में वर्णित आराजी नंबर 379, 380, 381, 384 कुल किता 4 रकबा 0.6500 हैक्टर एवं परिशिष्ट ''बी'' में वर्णित आराजी नंबर 625, 626, 627, 918, 939, 962, 963 कुल किता 7 रकबा 0.2750 हैक्टर भूमि ग्राम मोरवा, तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजियात का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है एवं मौके पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु विपक्षीगण सीमा व लगान को लेकर झगड़ा करते हैं तथा जबरन बेदखल कर भूमि का विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.05.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 24 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई आधार बताये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। विवादित भूमि सहखातेदारी में होकर अभी उसका विधिवत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2024 को अन्तरित अस्थायी जारी की, इसके बावजूद दौराने वाद रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा मौके पर अवैध तौर पर पक्का निर्माण करवा लिया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं किया है तथा बिना को कारण बताये अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित आराजियात अपीलान्टगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के सहखातेदारी की भूमि है तथा सहखातेदारी के भूमि में प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होने की अवधारणा ली जाती है। जब तक सहखातेदारों क मध्य विधिवत विभाजन नहीं हो जाता, तब तक एक सहखातेदार को उसके उपयोग–उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2024 में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:36 IST
Reason: SelfAttested